1.

न्यायालय प्रथम वर्ग न्यायिक दंडाधिकारी पीठासीन अधि0—कवितांजली टोप्पो व्यवहार न्यायालय, रांची दिनांक 19—07—2019

सामान्य पंजीयन वाद सं0-5163/2012

<u>विचारण वाद सं0–26/19</u> टाटीसिल्वे थाना कांड सं0– 60/2012

राज्य द्वारा (पूजा महतो, सूचक)अभियोजन बनाम् करम साव पे0 स्व0 जगदीश साव, पुरूष, उम्र ४० वर्ष पताः हुरहुरू, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग

..... अभियुक्त

आरोप अंतर्गत धारा -279/337/338/427 भा0द0वि0 राज्य की ओर से अधिवक्ता :- सुश्री मिनाक्षी कंडुलना, (वि० स० लोक अभियोजक) अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता :- श्री जे० पी० नागा एवं अन्य

<u>निर्णय</u>

- 1. उपरोक्त वर्णित अभियुक्त का विचारण धारा 279/337/338/427 भा०दवि० के अर्न्तगत किया गया।
- 2. सूचिका के लिखित प्रतिवेदन के अनुसार संक्षेप में अभियोजन वाद है कि मैं आज सुबह 8.45 बजे अपने घर से स्वर्णरेखा हाई स्कूल आदर्शनगर, टाटीसिल्वे के लिए अपने साईकिल से स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चली जब मैं विनायक मोबाईल दुकान के नजदीक पहुंची तो पीछे से द्रक नं0 UP73A3687 तेजी से चलाते हुए आयी जो खेलगाँव रांची के तरफ जा रहा था। उक्त द्रक चालक ने पीछे से मेरे साईकिल में धक्का मार दिया जिससे हम साईकिल सहित नीचे गिर गई तथा द्रक मेरे दाहिने पैर पर चढ़ाते हुए भागने लगा। हम जख्मी हो गए तथा मेरे दाहिने पैर के ठेहुना के नीचे पूरा टूट—फूट हो गया।
- 3. टाटीसिल्वे थाना कांड सं0—60/12 दिनांक—19.09.12 को धारा 279/ 337/338/427 भा0द0वि0 के तहत अभियुक्त के विरुद्व दर्ज किया गया। अनुसंधान पश्चात् उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्व 279/337/338/427 भा0द0वि0 के अंतगर्त आरोप पत्र दिनांक—18.10.12 को समर्पित किया गया। तदोपरांत दिनांक 01.11.12 को माननीय न्या.द.रॉची द्वारा धारा 279/337/338/427 भा0द0वि0 के तहत मामले का संज्ञान लेकर अभिलेख को मु.न्य.द. रांची के न्यायालय कि संचिका में विचारण एवं निष्पादनार्थ रखा गया।
- 4. पुलिस पेपर प्रदान कर दिनांक 20.04.13 को अभियुक्त को धारा 279/337/338/427 भा0द0वि0 के तहत अभियोजन का सार हिन्दी में सुनाया एवं समझाया गया, अभियुक्त ने आरोप को समझकर स्वयं को बेकसूर बताया और विचारण का दावा किया।
- 5. अभियोजन द्वारा चार साक्षी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया।
- 6. अभियोजन साक्ष्य बंद होने के तदोपरान्त अभिलेख को दं.प्र.सं. की धारा 313 के अन्तर्गत अभियुक्त का बयान लिया गया जिसमें अभियुक्त द्वारा अपने उपर लगाये गये आरोप को गलत बताया गया।
- 7. उभयपक्ष के तर्क और बहस को सुना, न्यायालय के समक्ष प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन ने अभियुक्त के खिलाफ लगे आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।

<u>मंतब्य</u>

8. प्रस्तुत वाद में अभियोजन द्वारा अपने दावे कि पुष्टि हेतु कुल 06 आरोप पत्रित गवाहों में से 04 साक्षी को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित साक्षी सं.1 सूचिका / पीड़िता पूजा महतो कहती है कि 19.09.12 की घटना है समय पौने 9 बजे सुबह में उस समय में आदर्श नगर अपने साईकिल से अपने स्कूल जा रही थी। तभी पीछे से एक द्रक UP73A3687 ने आकर धक्का दे दिया जिससे मुझे पैर में चोट लगा। पीछे वाला चक्का मेरे दाये पैर पर चढ़ गया। साईकिल भी पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। लिखित आवेदन पिर साक्षी स्वयं के हस्ताक्षर को प्रदर्श 1 अंकित करा कहती है कि लिखित आवेदन किसी लिखावट में है उन्हें याद नहीं है। रिम्स में इलाज हुआ फिर गुलमोहर में इलाज हुआ मेरा दायां पैर का हड्डी टूट गया था। साक्षी स्वीकार करती है कि उन्होंने गाड़ी चालक को नहीं देखा था। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में कहती है कि वे रोड के किनारे साईकिल चला रही थी। द्रक ने मुझे पीछे से धक्का मारा था, धक्का लगा तो हम गिर गये थे और बेहोश हो गये थे ऑख बंद हो गया था।

अभियोजन साक्षी सं0 2 सुरेश महतो घटना का समर्थन करते हैं, साक्षी घटना घटने के बाद ह ाटनास्थल गये थे तथा पीड़िता, उनकी बेटी का इलाज पहले रिम्स में हुआ फिर गुलमोहर अस्पताल में होने का अभिसाक्ष्य देते हैं।

अभियोजन साक्षी सं0 3 अभियोजन साक्षी सं0 4 पक्षद्रोही साबित हुए हैं। साक्षी सं0 1 द्रक के द्वारा पीछे से धक्का मारा गया, पश्चात वे बेहोश हो गयी, उन्होंने चालक को नहीं देखा, उनके साक्ष्य के अलावे अभियोजन अभियोजन के द्वारा अन्य कोई उल्लेखनीय साक्ष्य नहीं लाया गया, अभियोजन को अन्य साक्षियों के साक्ष्य प्रस्तुत हेतु प्रर्याप्त अवसर, लगातार निर्देश तथा अंतिम अवसर दिया गया साथ ही न्यायालय द्वारा साक्षियों पर सम्मन, वारंटर जारी किया गया परंतु उपरोक्त एकमात्र साक्षी को छोड़कर अन्य कोई साक्षी साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं हुए। अंततः अभियोजन साक्ष्य की कार्यवाही बन्द कर दी गयी।

9. अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं उपर में की गयी विवेचना के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचती हूँ कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति युक्त संदेह की छाया से परे साबित करने में सफल नहीं रहा है।और अभियुक्त न्यायहित में दोषमुक्त किये जाने योग्य है। तद्नुसार मैं अभियुक्त को किसी अपराध का दोषी नहीं पाती हूँ।

आदेश

तद्नुसार अभियुक्त करम साव को उनके विरूद्ध लगाए गए आरोपों अंतगर्त धारा 279/337/338/427 भा0द0वि0 के सिद्ध नहीं होने के कारण दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर हैं। अतः इनके प्रतिभूओं को दायित्व मुक्त किया जाता है।

लेखापित

(कवितांजली टोप्पो) न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय, रांची। दिनांक— 19 जुलाई 2019

यह निर्णय मेरे द्वारा लेखापित कर शुद्धित, दिनांकित एवं हस्ताक्षित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

> (कवितांजली टोप्पो) न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी व्यवहार न्यायालय, रांची। दिनांक— 19 जुलाई 2019